

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

संचिका संख्या : : 7ब/4700 योज०सं०-01/13 78 /राँची, दिनांक :- 6-9-13

(शुद्धि - पत्र)

मुख्य शीर्ष 4700 के अन्तर्गत सुवर्णरेखा परियोजना हेतु निर्गत विभागीय आवंटन आदेश संख्या -7ब/4700-योज०सं०-01/13-09, दिनांक- 25.04.2013 के कंडिका- 3 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है।

“प्रशासक, सुवर्ण रेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर आवंटित राशि अपने अधीनस्थ विभिन्न प्रमंडलों/अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास/विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी/पुनर्वास पदाधिकारी/ सहायक निदेशक जन सम्पर्क कार्यालय इत्यादि को आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर से स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप उप-आवंटित/पुनर्आवंटित करेंगे एवं इसकी सूचना विभाग एवं संबंधित कोषागार/उपकोषागार सहित राज्य के सभी कोषागार/उपकोषागार को भी देंगे।”

2. उक्त आवंटन आदेश की अन्य शर्तें एवं कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।
3. उक्त आवंटन आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-

78

राँची, दिनांक :- 6-9-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्नु, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/जमशेदपुर/चाईबासा/घाटशिला/सरायकेला-खरसौवा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-

78

राँची, दिनांक :- 6-9-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/प्रशासक, स्वर्ण रेखा परियोजना/ मुख्य अभियंता, चाण्डल कम्पलेक्स/ मुख्य अभियंता, ईचा-गालूडीह/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/ संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पौंच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ऑंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(एम.एस. चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव